राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत–शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

डॉ.राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, द्वितीय तल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

दूरभाषः 01412704357,58 email: director.sanskrit@gmail.com

क्रमांक : 46874 दिनांक : 1/12/2017

आदेश

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर के विज्ञापन संख्या–1/2017–18 दिनांक 28.08.2017 के तहत अध्यापक– लेवल प्रथम (कक्षा 1 से 5) संस्कृत/सामान्य (ग्रेड III) सीधी भर्ती–2017 के तहत प्राप्त आनलाईन आवेदन पत्रों के आधार पर निर्मित अस्थायी वरीयता के अनुसार विषयवार एवं श्रेणीवार दस्तावेजों के सत्यापन हेतु विभागीय पत्रांक 454554 दिनांक 21.11.2017 द्वारा विज्ञापित पदों के डेढ गुणा तक की कॅट ऑफ जारी कर दिनांक 30.11.2017 तक परिवेदनायें आमंत्रित की गयी थी।

उक्त कम में प्राप्त परिवेदनाओं के परीक्षण उपरान्त अध्यापक (संस्कृत) नॉन टीएसपी के निम्नलिखित वरीयता प्रतिशत तक के पुरूष अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु दिनांक 18.12.2017 को आमंत्रित किया जाता है–

पदनाम	श्रेणी	अस्थायी वरीयता प्रतिशत
अध्यापक– लेवल प्रथम (कक्षा 1 से 5) संस्कृत (ग्रेड III)	सामान्य	75.33 से न्यून व 74.67(07.07.1997) तक
	ओबीसी (नॉनक्रीमि)	72.67(08.05.1990) से न्यून व 72.00 (26.10.1989) तक
	एससी	70.00(27.12.1990) से न्यून व 68.67 (07.07.1992) तक
	एसटी	70.00(25.06.1992) से न्यून व 68.67 (09.05.1991) तक

उपर्युक्त अंकित प्रतिशत के आधार पर दिनांक 18.12.2017 को प्रातः 10.00 बजे संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जयपुर संभाग, जयपुर **पता ई–179 संस्कृत भवनम रमेश मार्ग सी स्कीम जयपुर (दूरभाष नं. 0141–2221077)** पर समस्त मूल दस्तावेज (शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक) मय ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति (हार्ड कापी) के साथ व्यक्तिशः उपस्थित होना है।

1. समस्त अभ्यर्थियों को अपने साथ सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से अपने चरित्र सत्यापन का प्रमाण पत्र भी साथ ही लाना होगा।
2. वेवसाईट पर उपलब्ध आवेदन पत्र को भरकर समस्त दस्तावेजों की फोटोप्रति निर्देशानुसार संलग्न कर साथ लाना अनिवार्य है।
3. राजस्थान राज्य से बाहर की डिग्री होने की स्थिति में सम्बन्धित दस्तावेज की दो सत्यापित फोटो प्रति साथ लावे।
4. यह सूची नियुक्ति का आधार नहीं है तथा पूर्णतः अस्थायी है। अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों के मिलान के पश्चात् अन्तिम सूची जारी की जायेगी।
5. सत्यापन हेतु उपस्थित होने का का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है।

(विमल कुमार जैन) 1/12/17
IAS
निदेशक
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर